प्रेस नोट*
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 04.04.2026

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** वारण्टी संरक्षक नाम पता अब्दुल हमीद पुत्र शाह मोहम्मद निवासी नेतारी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सतीश तिवारी।
थाना मेहदाव पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता नाटे पुत्र रामकिशोर निवासी ठाकुरद्वारा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शहेन्द्र यादव, का0 विरेन्द्र रावत।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8292 द्वारा मारपीट में घायल 02 महिलाओं भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 8292 पर थाना बेरहरकला क्षेत्रांतर्गत कुलहड़िया से कालर द्वारा मारपीट में घायल 02 महिलाएं (1.दिव्या पुत्री ओमप्रकाश यादव 2.मनीषा पुत्री ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम कुलहड़िया थाना बेलहरकला जनपद-संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 मयंक शेखर, हो0गा0चा0 विनोद पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 402 वाहनों से 7,17,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 04.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 402 वाहनों से 7,17,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 04.04.2026 को थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 476/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को रेलवे प्लांट हरा पट्टी बखिरा पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 09.12.2025 को थाना बेलहरकला पर बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को शादी को झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रमेश चन्द, हे0 का0 अजय कुमार, म0 का0 नीलू देवी सरोज।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा 5,31,000 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 5,31,000 रुपये की धनराशि उनके खातों में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी राकेश मौर्या के पत्नी के शशीकला मौर्या निवासी प्लाट नं0 इ78 इण्डस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के नाम से पंजीकृत फर्म सम्राट इण्डस्ट्रीज के बैंक आफ बड़ौदा के खाता से 5,31,000 रूपये आरटीजीएस के माध्यम से दूसरे के खाते मे ट्रांस्फर हो गया था। जिसपर साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते मे सम्पूर्ण धनराशि वापस कराया गया।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री जयप्रकाश चौबे ,उ0नि0 रमेश यादव, हे0का0 मोहम्मद हिन्दे आजाद, का0 रामप्रवेश मद्देशिया, का0 धीरेन्द्र कुमार प्रसाद।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।